

हॉलमार्किंग विभाग

हमारा संदर्भ: HMD/14:44

06 जून 2024

विषय: भारतीय मानक 15820:2024 में संशोधन (परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और संचालन- सामान्य अपेक्षाएँ (पहला पुनरीक्षण))

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि आईएस 15820:2009 को आईएस 15820:2024 के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित भारतीय मानक आईएस 15820:2024 को स्थापना की तारीख 01 मई 2024 के साथ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और आईएस 15820:2009 की तारीख **01 नवंबर 2024** तक लागू रहेगी।

आरओ/बीओ से अनुरोध है कि वे इसे सभी बीआईएस पंजीकृत ज्वेलर्स और बीआईएस मान्यता प्राप्त एचसी के ध्यान में लाएँ।

(के. चंदन राव)
वैज्ञानिक सी (एचएमडी)

प्रमुख (एचएमडी)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय हॉलमार्किंग अधिकारी।

सभी शाखा कार्यालय एवं हॉलमार्किंग के डीलिंग अधिकारी।

प्रतिलिपि:

डीडीजी हॉलमार्किंग

सभी डीडीजीआर

सभी शाखा कार्यालयों के प्रमुख

HALLMARKING DEPARTMENT

Our Ref: HMD/14:44

06 June 2024

Subject: Revision to Indian Standard 15820:2024 (Establishment and Operation of Assaying and Hallmarking Centres— General Requirements (First Revision))

This is to inform to all concerned that IS 15820: 2009 has been revised as IS 15820:2024. The revised Indian Standard IS 15820:2024 has been gazette notified with date of establishment as 01 May 2024 and the date till which IS 15820:2009 shall remain in force as **01 November 2024**.

ROs and BOs are requested to bring it to the notice of all the BIS Registered Jewellers and BIS Recognised AHCs.

(K. Chandan Rao)
Scientist C (HMD)

Head (HMD)

Circulated to:

**All ROs & Regional Hallmarking Officers
All BOs & Dealing Officers for Hallmarking**

Copy to:

DDG HM

All DDGRs

All Heads of BOs